

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 120/2022

धर्मसंघ महाविद्यालय एवं आयुर्वेद रसायनशाला भादरा जरिये संस्था अध्यक्ष डॉ. गुण प्रकाश चैतन्य शिष्य वीरव्रती प्रवल महाराज सा० भादरा। :- वादी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।
2. त्रयेम्बकेश्वर चैतन्य महाराज पुत्र प्रवल महाराज निवासी भादरा-उपाध्यक्ष
3. सजन्न मितल पुत्र श्रीनिवास मितल जाति अग्रवाल निवासी भादरा-सचिव
4. राजेन्द्र महिपाल पुत्र दीनदयाल महीपाल जाति अग्रवाल निवासी भादरा-कोषाध्यक्ष
5. विदिश दत्त शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भादरा-सदस्य
6. मांगीवाल महिपाल पुत्र ओमप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी कस्बा भादरा-सदस्य
7. शिवशंकर गोल्याण पुत्र जगदीश प्रसाद गोल्याण जाति अग्रवाल निवासी कस्बा भादरा-सदस्य
8. राजकुमार गोयल पुत्र परसाराम जाति अग्रवाल निवासी कस्बा भादरा-सदस्य
9. पवनकुमार गोयल पुत्र जगदीश प्रसाद चाचाण जाति अग्रवाल निवासी कस्बा भादरा-सदस्य
10. पुष्पेन्द्र खदरिया पुत्र मदन खदरिया जाति अग्रवाल निवासी कस्बा भादरा-सदस्य
11. मनोज शर्मा पुत्र सरजीत जाति ब्राह्मण निवासी हिसार-सदस्य
12. दीपक शर्मा पुत्र वलदेव शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा भादरा-सदस्य

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश कुमार शर्मा व प्रतिवादीगण श्री दिवान सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा अनुपशहर के खाता सं० 217/201 के खसरा संख्या 778, 841, 842 की कुल 22.4850है० खातेदारी मे धर्मसंघ महाविद्यालय एवं आयुर्वेद रसायनशाला भादरा जरिये सदस्य मांगीलाल महिपाल 1/6 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से धर्मसंघ महाविद्यालय एवं आयुर्वेद रसायनशाला भादरा जरिये सदस्य मांगीलाल महिपाल का नाम कलमजन किया जाकर धर्मसंघ महाविद्यालय एवं आयुर्वेद रसायनशाला भादरा जरिये संस्था अध्यक्ष गुण प्रकाश चैतन्य शिष्य वीरव्रती प्रवल महाराज दर्ज किए जाने की घोषणा की जाती है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच धर्मसंघ महाविद्यालय एवं आयुर्वेद रसायनशाला भादरा जरिये सदस्य मांगीलाल महिपाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में धर्मसंघ महाविद्यालय एवं आयुर्वेद रसायनशाला भादरा जरिये सदस्य मांगीलाल महिपाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी धर्मसंघ महाविद्यालय एवं आयुर्वेद रसायनशाला भादरा जरिये सदस्य मांगीलाल महिपाल नाम ही प्रभावी माना जावेगा, तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा।

यदि कृषि भूमि में धर्मसंघ महाविद्यालय एवं आयुर्वेद रसायनशाला भादरा जरिये सदस्य मांगीलाल महिपाल का हिस्सा बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़